न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 7 / 2022

श्री बाबूलाल गुनसारिया पुत्र श्री ग्यारसी लाल रैगर निवासी पूर्व कारागृह सदस्य टोंक अदालत परिषद टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 29.4.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 21.02.2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई है :—

1 नकल खसरा परिवर्तनशील खसरा नम्बर 6205 गैर मुमकिन पाल कस्बा टोंक शर्की

2 नकल सम्वत 2074, 2075, 2076, 2077, 2078 खसरा परिवर्तनशील खसरा नम्बर 6205 गैर मुमकिन पाल कस्बा टोंक शर्की की सम्पूर्ण गश्त किन—किन लोगों कों अतिक्रमी मानकर पढाई गई।

3 उन लोगों का सम्पूर्ण नाम पता ब्यौरा उपलब्ध करवाया जावे, जिन्होने खसरा नम्बर 6205 गैर मुमकिन पाल पर अतिक्रमण कर रखा है।

4 तहसील कार्यलय द्वारा खसरा नम्बर 6205 गैर मुमकिन पाल पर अतिक्रमियों को अब तक जारी धारा 91 के नोटिशों की सत्यापित प्रतिलिपि

5 तहसील कार्यलय द्वारा खसरा नम्बर 6205 गैर मुमकिन पाल पर अतिक्रमियों के विरूद्ध अब तक की गई बेदखली की कार्यवाही पत्रावलियों की सत्यापित प्रतिलिपि

6 खसरा नम्बर 6205 की वर्तमान में वास्तविक एवं भौगोलिक स्थिति की सीमांकन रिपोर्ट उपलब्ध करावें, प्रत्येक नकल 3—3 सेट में उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक को पत्र कमांक 495 दिनांक 05—04—2022 व 507 दिनांक 13.04.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक द्वारा पत्र कमांक: 4166 दिनांक 25—04—2022 से जवाब प्रेषित किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:18:15 IST
Reason: Self Attested

हमने पत्रावली एंव प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया, पत्रादि के अवलोकन से ज्ञात होता है कि लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किया है कि बिन्दु संख्या 1 से 3 तक संबंध कार्यालय की

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

राजस्व शाखा से, बिन्दु संख्या 5 का संबंध पटवारी हल्का शर्की से, बिन्दु संख्या 4 के कम में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र कमांक प.3 (22)प्रसु/ सू.अ.प्र./ 06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नही है। तहसीलदार टोक द्वारा अपने जवाब में बिन्दु संख्या 6 का उल्लेख नही किया गया है। जिससे जाहिर होता है कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक ने अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना को संकलित कर अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना बिन्दु संख्या 4 को छोडकर शेष बिन्दुओं की सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना निर्णय की प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी को सूचित किया जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:18:15 IST
Reason: SelfAttested